हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

लोक उपक्रम समिति

(तेरहवीं विधान सभा)

(2021-22)

53वाँ कार्रवाई प्रतिवेदन

हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित से सम्बन्धित समिति के 18वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (2019-20) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित।

(दिनांक 09 मार्च, 2022 को सदन में उपस्थापित किया गया)

विषय सूची

क्र0सं0	विषय		पृष्ठ संख्या
1.	समिति का गठन		(ii)
2.	प्रस्तावना		(iii)
3.	प्रतिवेदन		1-5
	अध्याय-1	संक्षिप्त परिचय	1
	अध्याय-2	सिफारिशें/टिप्पणियाँ जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार किया गया।	1
	अध्याय-3	सिफारिशें/टिप्पणियाँ जिनके उत्तरों से समिति सहमत हुई; और पुनः सिफारिशें नहीं की।	1
	अध्याय-4	सिफारिशें/टिप्पणियाँ जिनके उत्तरों से समिति सहमत नहीं हुई और पुनः सिफारिशें की।	2-4
	अध्याय-5	सिफारिशें/टिप्पणियाँ जिनके सम्बन्ध में सरकार से अन्तिम उत्तर प्राप्त नहीं हुए।	5

समिति का गठन

सभापति:

कर्नल इन्द्र सिंह

सदस्य:

2. श्री राम लाल ठाकुर
3. श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु
4. श्री बलवीर सिंह वर्मा
5. श्री पवन कुमार काजल
6. श्री लखविन्द्र सिंह राणा
7. श्री पवन नैय्यर
8. श्री राजेश ठाकुर
9. श्री सत्तपाल सिंह रायजादा
10. श्री विक्रमादित्य सिंह
11. श्री विशाल नैहरिया

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

1. श्री यशपाल शर्मा : सचिव
2. श्रीमती रीता देवी : अवर सचिव एवं समिति अधिकारी

प्रस्तावना

मैं, सभापति, लोक उपक्रम समिति (तेरहवीं विधान सभा)(वर्ष 2021-22) समिति द्वारा प्रदत्त अधिकार से **53वाँ कार्रवाई प्रतिवेदन** जोकि हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित से सम्बन्धित समिति के 18वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (2019-20) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित है, को सदन में प्रस्तुत करता हूँ।

लोक उपक्रम समिति (2021-22) का गठन हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली,1973 (नवम् संस्करण) के नियम 209 व 211 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या: वि0स0-विधायन समिति गठन/1-14/2018 दिनांक 01 अप्रैल, 2021 को किया गया।

समिति का 18वाँ मूल प्रतिवेदन दिनांक 28 अगस्त, 2019 को सदन में उपस्थापित किया गया तथा दिनांक 29 अगस्त, 2019 को आगामी कार्रवाई हेतु सम्बन्धित विभाग को प्रेषित किया गया। जिसके लिखित उत्तर विभाग ने दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को समिति के संवीक्षार्थ उपलब्ध करवाये।

समिति ने विभागीय उत्तरों पर दिनांक 16 सितम्बर, 2021 की आयोजित बैठक में विचार-विमर्श किया तथा विचारोपरान्त कुछ सिफारिशें/टिप्पणियां करके कार्रवाई प्रतिवेदन तैयार करने का निर्णय लिया।

समिति ने इस कार्रवाई प्रतिवेदन को दिनांक 03 मार्च, 2022 की आयोजित बैठक में विचारोपरान्त अपनाया तथा सभापति को इसे सदन में उप:स्थापित करने हेतु प्राधिकृत किया।

समिति, महालेखाकार कार्यालय के उन अधिकारियों/कर्मचारियों का भी आभार प्रकट करती है जिन्होंने इस प्रतिवेदन की रूपरेखा तैयार करने में सहयोग दिया।

समिति, सचिव हिमाचल प्रदेश विधान सभा तथा विधान सभा सचिवालय के उन अधिकारियों/ कर्मचारियों का भी आभार व्यक्त करती है जिन्होंने इस प्रतिवेदन की रूप-रेखा तैयार करने में सहयोग किया।

(कर्नल इन्द्र सिंह)
सभापति,
लोक उपक्रम समिति।

दिनांक: 03 मार्च, 2022
शिमला-171004.

प्रतिवेदन

अध्याय-1

संक्षिप्त परिचय

लोक उपक्रम समिति का 18वाँ मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (2019-20) जोकि हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित से सम्बन्धित है, में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित है, को दिनांक 28 अगस्त, 2019 को सदन में प्रस्तुत किया तथा दिनांक 29 अगस्त, 2019 को आवश्यक कार्रवाई हेतु विभाग को प्रेषित किया गया। विभाग द्वारा प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों के विभागीय उत्तर दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को समिति के संवीक्षार्थ उपलब्ध करवाए। समिति ने विभागीय उत्तरों पर दिनांक 16 सितम्बर, 2021 की आयोजित बैठक में विचार-विमर्श किया तथा कार्रवाई प्रतिवेदन तैयार करने का निर्णय लिया। इस प्रतिवेदन में कुल 04 सिफारिशें थी जिन्हें सरकार द्वारा की गई कार्रवाई उपरान्त निम्न प्रकार से अध्यायवार श्रेणीवार विभाजित किया गया है:-

अध्याय-2

सिफारिशें/टिप्पणियाँ जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार किया गया: शून्य

अध्याय-3

सिफारिशें/टिप्पणियाँ जिनके उत्तरों से समिति सहमत हुई और पुन: सिफारिशें नहीं की: शून्य

अध्याय-4

सिफारिशें/टिप्पणियाँ जिनके उत्तरों से समिति सहमत नहीं हुई और पुन: सिफारिशें की: 04

अध्याय-5

सिफारिशें/टिप्पणियाँ जिनके सम्बन्ध में सरकार से अन्तिम उत्तर प्राप्त नहीं हुए: शून्य

अध्याय-4

सिफारिशें/टिप्पणियाँ जिनके उत्तरों से समिति सहमत नहीं हुई; और पुनः सिफारिशें कीः-

पैरा संख्या 3.11 उत्पाद शुल्क का परिहार्य भुगतान-

(i) इस छूट का लाभ कम्पनी को प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से किस प्रकार और कितना हुआ, समिति को कार्रवाई स्तर पर आँकड़ों सहित अवगत करवाया जाए?

विभागीय उत्तर

काशंग जल विद्युत परियोजना-

हि0 प्र0 पॉवर कारपोरेशन लि0(कम्पनी) को रु0 422.00 लाख का लाभ हुआ। अगर भारत सरकार द्वारा उत्पाद और कस्टम शुल्क में छूट नहीं दी गयी होती तो कम्पनी का अतिरिक्त खर्चा बढ जाता क्योंकि कम्पनी को उत्पाद और कस्टम शुल्क ठेकेदार को देना पड़ता।

सैंज जल विद्युत परियोजना-

सैंज जल विद्युत परियोजना के निर्माण के दौरान उपयोग की जाने वाली विभिन्न वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क में छूट के लिए ठेकेदार (मैसर्ज एचसीसी लिमिटेड) को परियोजना प्राधिकरण प्रमाण पत्र (Project Authority Certificate) (पीएसी) जारी किए गए थे। हालांकि छूट/राहत का मूल्य लाभ संबंधित परियोजना प्राधिकरण प्रमाणपत्र (पीएसी) में निर्धारित नहीं है।

आगे ठेकेदार (एचसीसी लिमिटेड) से छूट/राहत का मूल्य प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

सावडा कुडडू जल विद्युत परियोजना-

हि0 प्र0 पॉवर कारपोरेशन लि0 (कम्पनी) को प्रतिर्स्पधा बोली के माध्यम से छूट का लाभ उस समय की उत्पाद एवं कस्टम शुल्क की दरों के हिसाब से हुआ।

अगर भारत सरकार उत्पाद एवं कस्टम शुल्क में छूट नहीं देती तो ठेकेदार इसे बोली मूल्य में सम्मिलित करता और अनुबंध मूल्य अधिक हो जाता और कम्पनी को अतिरिक्त खर्चा उठाना पड़ता।

सावड़ा-कुड्डू HEP के संबंध में परियोजना स्थल पर खरीदी गई सामग्री के खिलाफ उत्पाद शुल्क और कस्टम ड्यूटी के कारण एचपीपीसीएल को मिले सभी छूट लाभों का विवरण इस प्रकार है :

अनु क्रमांक	पैकेज का विवरण	अस्थायी राशि
1.	पावर हाऊस परिसर का निर्माण जिसमें सर्ज शाफ्ट, प्रेशर शाफ्ट, मशीन हॉल, इरेक्शन बे, ट्रांसफार्मर, केवर्न, पॉट हेड यार्ड, केबल टनल, MAT और अन्य टनल, टेल रेस टनल शामिल है। (सावड़ा कुड्डू के संबंध में सभी प्रकार से पूर्ण)-कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट न.SK/C-III दिनांक 10.02.2009	रू 2,72,81,980/-
	कुल	रू 2,72,81,980/-

<u>पुन: सिफारिश/टिप्पणी:</u>

समिति विभागीय उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हुई तथा जानना चाहती है कि Civil Contractors को तीनों प्रौजैक्टस (कांशग, सैंज तथा सावडा कुडडु) के कितने-कितने PAC जारी किए गए व Project Authority Certificate के बिना छूट कैसे ली गई है?

लेखापरीक्षा द्वारा कांशग, सैंज तथा सावडा कुडडु जल विद्युत परियोजनाओं पर भारत सरकार द्वारा यथाप्रदत्त उत्पाद शुल्क में छूट का दावा करने में कम्पनी की विफलता के परिणामस्वरूप 36.11 करोड़ रूपये का परिहार्य भुगतान दर्शाया है जबकि विभागीय उत्तर में काशंग जल विद्युत परियोजना का मु0 422.00 लाख रूपये का लाभ दर्शाया है व सैंज जल विद्युत परियोजना में छूट/राहत मूल्य नहीं दर्शाया है तथा सावडा कुडडू जल विद्युत परियोजना में दर्शाई गई मु0 2,72,81,980/- रूपये की राशि भी अस्थाई तौर पर दर्शाई गई है, समिति के मतानुसार विभागीय उत्तर में दर्शाई गई राशि लेखा परीक्षा आपत्ति की राशि से मिलान नहीं करती है इसलिए तीनों परियोजनाओं की योजनावार राशि जो लेखा आपत्ति की मु0 36.11 करोड़ रूपये की राशि से मिलान करती हो का पूर्ण ब्यौरा उपलब्ध करवाया जाए। समिति के मतानुसार कम्पनी शीघ्रातिशीघ्र मु0 36.11 करोड़ रूपये का लाभ प्राप्त करके कृत कार्रवाई से अवगत करवाएं।

समिति ने यह भी चाहा कि जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की लापरवाही के कारण छूट का लाभ नहीं मिल पाया इसके लिए उन अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेवारी सुनिश्चित की जाए।

(ii) कम्पनी द्वारा पैरे में दर्शाए गए एवं अन्य किसी प्रकार के उत्पाद शुल्क की अदायगी नहीं की गई हैं?

विभागीय उत्तर

कम्पनी के द्वारा अन्य किसी प्रकार के उत्पाद शुल्क/कस्टम शुल्क की अदायगी नहीं की गई हैं ।

पुन: सिफारिश/टिप्पणी:

समिति के मतानुसार सैंज जल विद्युत परियोजना में उत्पाद शुल्क/कस्टम शुल्क की अदायगी तो नहीं की गई परन्तु कम्पनी को छूट का अनुमान होना तो अनिवार्य था इसलिए छूट की राशि कितनी थी व कम्पनी ने कितना लाभ प्राप्त किया, समिति को अवगत करवाया जाए?

(iii) किन कारणों से कम्पनी अधिसूचना के अनुसार औपचारिकताएं पूर्ण नहीं कर पाई जिस के कारण ए0डी0बी0 द्वारा पोषित परियोजनाओं को उत्पाद शुल्क छूट का लाभ नहीं मिल सका?

विभागीय उत्तर:

कम्पनी ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिसूचनाओं की औपचारिकताओं का पूर्ण रूप से पालन किया तथा इसका लाभ भी प्राप्त किया।

पुन: सिफारिश/टिप्पणी:

समिति विभागीय उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हुई क्योंकि सैंज जल विद्युत परियोजना में छूट का लाभ प्राप्त किया ही नहीं गया लेकिन अब इस छूट की मांग की गई है, स्पष्टीकरण दें?

(iv) क्या अभी भी ए0डी0बी0 पोषित इन परियोजनाओं में इस्तेमाल हो रही सामग्री पर उत्पादन शुल्क दिया जा रहा है ?

विभागीय उत्तर:

वर्तमान में परियोजना में इस्तेमाल हो रही सामग्री पर कोई उत्पादन शुल्क नहीं दिया जा रहा है।

पुन: सिफारिश/टिप्पणी:

समिति विभागीय उत्तर से सहमत नहीं है और जानना चाहती है कि जब Project Authority Certificate ही जारी नहीं हुए तो उत्पादन शुल्क न दिए जाने कि बात किस प्रकार कही जा रहीं है, स्पष्टीकरण दें?

अध्याय-5

सिफारिशें/टिप्पणियाँ जिनके सम्बन्ध में सरकार से अन्तिम उत्तर प्राप्त नहीं हुए: शून्य